



कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

वन धन भवन, सेक्टर-24 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

दूरभाष: (0771) 2513100 से 2513110

E-mail : mfpfed.cg@nic.in

Website : www.cgmpfed.org

GST No. 22AABAC5137E2ZC

सूचना दिनांक 28/05/2025



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
2025
संयुक्त राष्ट्र संघ

सीनियर एक्जीक्यूटिव (तकनीकी) संविदा पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर में संचालित परियोजना अंतर्गत रिक्त संविदा पद पर भर्ती किया जाना है। अतः निम्नानुसार रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु योग्य छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों से आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2025 तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

क्रं.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	संवर्ग	एक मुश्त मासिक वेतन (रु. में)	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	सीनियर एक्जीक्यूटिव (तकनीकी)	01	अनारक्षित	रु. 45,320.00	1. - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम. एस.सी. (एग्रीकल्चर/हार्टीकल्चर/ खाद्य प्रसंस्करण/ बॉटनी/फॉरेस्ट्री/ ग्रामीण प्रौद्योगिकी) या बी.टेक. (मेकेनिकल/ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग)। अनारक्षित/ अ.पि.व. हेतु न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों एवं अ.ज.जा./अ.जा. वर्ग हेतु 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। 2. उच्च शैक्षणिक योग्यता एम.फिल./ पी.एच.डी. को प्राथमिकता दी जायेगी।

टीप :-

1. आवेदन पत्र तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत निर्देश संघ के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस हेतु किसी भी आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
2. संविदा नियुक्ति से संबंधित जानकारियां कार्यालय के वेबसाइट "www.cgmpfed.org" में प्रदर्शित की जायेगी तथा पृथक से पत्र द्वारा कोई सूचना नहीं दी जायेगी। अतः वेबसाइट का निरंतर समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

(Signature)

संयुक्त आयुक्त एवं सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ नवा रायपुर



कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी स मर्यादित



वन धन भवन, सेक्टर-24 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

दूरभाष: (0771) 2513100 से 2513110

Email: mfpfed.cg@nic.in

Website : www.cgmfpfed.org

GST No. 22AABAC5137E2ZC

सीनियर एक्सीक्यूटिव(तकनीकी) पद पर संविदा भर्ती हेतु नियम, शर्तें एवं चयन प्रक्रिया

- नियुक्ति हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल रजिस्टर्ड ए.डी./स्पीड पोस्ट से दिनांक 16.05.2025 सायं 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से प्राप्त अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- आयु सीमा-** उम्मीदवार की आयु दिनांक 01.01.2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 03.08.2025 के तहत निम्नानुसार छूट प्राप्त होगी -
अ. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमिलेयर) के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट।
ब. महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट।
स. छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट।
(टीप:- सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10वीं की मार्कशीट द्वारा की जावेगी। यदि आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।)
- निवासी-** आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- अनुभवी आवेदक के संबंध में निर्देश -**
 - छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों /मंडल राज्य के उपक्रम/अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके निजी उपक्रम की सेल में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत इच्छुक आवेदक को नियोक्ता संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - आवेदक को आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेजों तथा अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित /सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. आवेदक हेतु अन्य निर्देश-

- विज्ञापित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

2. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।
3. आवेदन करने के अंतिम तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में आवेदक के द्वारा जन्म तिथि, वर्ग, विषय आदि संशोधन मान्य नहीं होगा ।
4. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
5. कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
6. आवेदक जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध या दोष सिद्ध ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
7. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, इनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी आवेदक जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निराह्वित नहीं होगा ।
8. रिक्त पद, निर्धारित अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित जानकारी संघ को वेबसाइट **www.cgmpfed.org** पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक **www.cgmpfed.org** का निरंतर अवलोकन करते रहें ।
9. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर आवेदन पत्र भरे । चयन प्रक्रिया के भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी ।
10. विज्ञापन में तथ्यात्मक/ लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना वेबसाइट **www.cgmpfed.org** में प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा ।
11. चयन के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
12. संविदा नियुक्ति संघ के संविदा नियुक्ति नियम 2013 के तहत 01 वर्ष के लिए होगी।
13. चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी जो कि आदेश दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध रहेगी ।
14. उक्त प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से 01 वर्ष तक संघ में समान पदों की रिक्तियाँ उद्भूत होने पर उनकी पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी ।
15. कार्य संतोषजनक होने पर आवश्यकतानुसार संविदा अवधि बढ़ाई जा सकती है ।
16. चयनित आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी स्थान पर पदस्थापना दी जा सकती है। यह पदस्थापना दूरस्थ क्षेत्र में भी हो सकती है। नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में

चयनित आवेदकों की नियुक्ति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी। कार्य की आवश्यकता को देखते हुये प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ समय-समय पर पदस्थापना में परिवर्तन भी कर सकते हैं।

17. चयनित आवेदकों को छत्तीसगढ़ के वनवासियों के अजीविका के लिये कार्य करना है। इस हेतु आवेदक को सम्पूर्ण राज्य में किसी भी स्थान पर नियुक्तकर्ता अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र भ्रमण किया जाना होगा। क्षेत्र भ्रमण दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में भी किया जाना होगा। आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर भी प्रवास पर जाना होगा। तदनुसार इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन प्रस्तुत करें।
18. सेवा के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। सेवा के दौरान अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर तत्काल प्रभाव से संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
19. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर किसी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो तो वह चयन के लिये पात्र नहीं होंगे।
20. किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की गयी है। तो चयन प्रक्रिया के समय अथवा चयन के पश्चात किसी भी समय उसकी सेवा निरस्त की जा सकती है।
21. चयन हेतु आवेदक की पात्रता/अपात्रता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर को होगा।

7. चयन प्रक्रिया -

सामान्य निर्देश - विज्ञापित सीनियर एक्सीक्यूटिव (तकनीकी) पद की चयन प्रक्रिया हेतु अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

- (i) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक
- (ii) उच्च शैक्षणिक योग्यता एम.फिल. हेतु 7 अंक एवं पी.एच.डी. हेतु 8 अंक
- (iii) साक्षात्कार 15 अंकों का होगा। साक्षात्कार उपरांत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर संवर्गवार चयन सूची तैयार की जायेगी।

1. पात्र आवेदकों की सूची वेबसाइट www.cgmpfed.org पर अपलोड की जावेगी।
2. निर्धारित अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। मेरिट सूची के आधार पर एक पद के विरुद्ध 6 आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
3. अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार में बुलाने का यह तात्पर्य नहीं होगा की उनका चयन हो गया है।
4. नियुक्ति के संबंध में विस्तृत निर्देश संघ के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस हेतु किसी भी आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

8. मूल दस्तावेज सत्यापन -

आवेदक को साक्षात्कार के पूर्व संघ मुख्यालय में मूल दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय प्रस्तुत जानकारी एवं मूल दस्तावेजों में अंकित जानकारी समान होने पर ही आवेदक साक्षात्कार हेतु पात्र होगा। त्रुटिपूर्ण जानकारी/वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में साक्षात्कार से वंचित किया जायेगा। इस संबंध में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नानुसार मूल दस्तावेजों के साथ 2 सेट में सत्यापित फोटो प्रतियां तथा 01 पासपोर्ट साईज का फोटो भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

1. हाईस्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
2. आवेदन के साथ संलग्न शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं हायर सेकेंडरी की अंकसूची की मूल प्रति।
3. जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रति।
4. मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
5. जन्मतिथि प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
6. फोटो युक्त पहचान पत्र (ड्रायविंग लायसेन्स, आधार कार्ड या कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान कार्ड) तथा पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटोग्राफ।
7. अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति।


संयुक्त आयुक्त एवं सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनेपज संघ, नवा रायपुर